बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

अनुक्रमणिका

नियम क्रमांक	नियमों के शिर्षक.
	अध्याय १ प्रारंभिक
१	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२	परिभाषाएं.
	अध्याय २ साधारण.
३	बायलरों के प्रचालन का पर्यवेक्षक.
४	सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र रखेगा और अर्हता की सीमा धारण करना.
५	प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना.
६	स्वामी द्वारा बायलर मुख्य निरीक्षक या निदेशक को प्रमाणपत्र की विशिष्टियां प्रस्तुत करना.
७	हाजिरी, अनुतोष की दैनिक अवधि की सीमाएं और कार्यक्षमता.
८	बायलर को कब उपयोग में समझा जाएगा.
	अध्याय ३ परीक्षक बोर्ड.
९	परीक्षकों के बोर्ड का गठन.
१०	सदस्यों की पदावधि,-
११	बोर्ड के कृत्य.
१२	बोर्ड की बैठक.
१३	बैठक की सूचना और कारबार की सूची.
१४	गणपूर्ति.
१५	अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा.
१६	बोर्ड का सचिव.
१७	आवेदन पर बोर्ड का पृष्ठांकन.
१८	बोर्ड की प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति.
१९	परीक्षकों की फीस.
२०	बोर्ड की कार्रवाइयां.

अध्याय ४
परीक्षा.

२१ परीक्षा.

२२ परीक्षा का स्थगन.

अध्याय ५
प्रमाणपत्र.

२३ प्रमाण पत्र धारकों की सामर्थ्यता.

२४ प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन.

२५ फीस.

अध्याय ६
परीक्षा के लिए आवेदन.

२६ आवेदन का प्ररूप.

२७ अभ्यर्थी द्वारा समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना.

२८ शंकाप्रद शंसापत्र.

२९ मिथ्या शंसापत्र.

३० आवेदन और शंसापत्र की प्रतियों का रख जाना.

अध्याय ७
पात्रता मापदंड.

३१ आयु, अर्हतां और अनुभव.

अध्याय ८
परीक्षा के लिए पाठय विवरण.

३२ परीक्षा के लिए पाठय विवरण.

अध्याय ९
परीक्षा की रीति.

३३ परीक्षा की प्रकृति.

३४ परीक्षा के विषय.

३५ कार्य का निर्धारण.

३६ परीक्षा की फीस.

३७ फीस का प्रतिदाय.

३८ अपात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस.

अध्याय १०

प्रमाणपत्र प्रदान करना.

३९ प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करना.

४० प्रमाणपत्र का प्ररूप.

४१ प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन.

४२ पहचान करने की अपेक्षाएं.

४३ प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्रदान करना.

४४ प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन.

४५ मूल प्रमाणपत्र की अविधिमान्यता.

४६ प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख.

अध्याय ११

जांच.

४७ प्रमाण पत्र धारकों के संबंध मे जांच.

४८ प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.

४९ बोर्ड का विनिश्चय.

बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग २, खंड ३, उपखंड (पप) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीती और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख/७ मार्च, २०११

सा.का.नि. (अ).-केन्द्रीय सरकार, भारतीय बायलर अधिनियम, १९२३ (१९२३ का ७) की धारा २८क की उपधारा (१क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त। शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय १
प्रारंभिक

१. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,** -

(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, २०११ है ।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त। होंगे ।

२. **परिभाषाएं,-**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय बायलर अधिनियम, १९२३ (१९२३ का ७) अभिप्रेत है य

(ख) ''बोर्ड'' से इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक बोर्ड अभिप्रेत है य

(ग) ''बायलर प्रचालन इंजीनियर'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है य

(घ) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है य

(ड) ''मुख्य निरीक्षक'' का वही अर्थ है जो बायलर अधिनियम, १९२३ (१९२३ का ७) की धारा २ के

खंड (ग) में है य

(च) ''प्ररूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है य

(छ) ''सरकार'' से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है य

(ज) ''सचिव'' से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है य

(झ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है य

(त्र) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों के प्रतिनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत इकानामाईजर या इकानामाईजरों के प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय २
साधारण

३. **बायलरों के प्रचालन का पर्यवेक्षक -**

किसी एकल बायलर या बैटरी में जुडे हुए दो या अधिक बायलर या किसी भी दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक कुल उष्मा वाले ७० मीटर की परिधी के भीतर स्थित पृथक व्यष्टिक बायलरों का स्वामी तब तक उसका उपयोग नही करेंगा या उसके उपयोग की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक बायलर या बायलरों को, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी संख्या में बायलर परिचालकों के अतिरिक्त नियम ४ में विनिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ती के प्रत्यक्ष प्रभार में न रखा जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बायलर परिचालक को तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए बायलर का प्रभारी बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात, बायलर परिचर नियम, २०११ के अधिन प्रदत्त प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति को हाजिर होने और किसी आकार के बायलर या बायलरों के भारसाधक होने से विवर्जित नहीं करेगी और इन नियमों प्रयोजन के लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र इन नियमों के अधीन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा ।

४. **सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र रखेगा और अर्हता की सीमा धारण करना -**

किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र नहीं है, नियम ३ में अधिकथित सीमाओं वाले बायलर या बायलरों का प्रभार धारण करने के लिए उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं समझा जाएगा ।

५. **प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना करना,-**

इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाला बायलर प्रचालन इंजीनियर, जब उससे, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश प्रस्तुत करने हेतु मांग करने के लिए धारा १५ के अधीन सशक्त व्यक्तीयों में से किसी के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उसके प्रभार या हाजिरी में किसी बायलर की अवधी के दौरान सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आबध्द होगा ।

६. **स्वामी द्वारा बायलर मुख्य निरीक्षक या निदेशक को प्रमाण पत्र की विशिष्टियां प्रस्तुत करना-**

(१) किसी बायलर का स्वामी, जो किसी व्यक्ति को उसका भारसाधक नियुक्त करता है, ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक को ऐसे व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत क्रम संख्या धारित किए जाने वाले उसके प्रमाण पत्र की, उस रुप में तारीख और जारी करने का स्थान भी है, प्रस्तुत करेगा ।

(२) किसी बायलर का ऐसा स्वामी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के स्थान पर जो उपनियम (१) के अधीन भारसाधक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना नियोजन छोडे जाने की की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, ऐसे बायलर का प्रभार लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशकों को सात दिन के भीतर उस तथ्य की रिपोर्ट करेगा ।

७. **हाजिरी, अनुतोष की दैनिक अवधि की सीमाएं और कार्यक्षमता -**

(१) किसी बायलर के भार साधक व्यक्ति को, जब वह ऐसे बायलर के १०० मीटर के भीतर हो तो उसका प्रत्यक्ष और अव्यवहित प्रभारी समझा जाएगा ।

(२) किसी ऐसे बायलर के, जिनके लिए इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र की अपेक्षित है, किसी भारसाधक व्यक्ति को दो से अनधिक अवधियों के लिए किसी एक दिन में भार से भारयुक्त किया जा सकेगा जो, बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संयोजित करने पर दो घंटे से अधिक नहीं होगी ।

(३) बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक की लिखित सहमति से बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति को भी ऐसी अवधी के लिए भारयुक्त कर सकेगा जो निरंतर दस दिन के लिए विस्तारित की जा सकेगी, जिसने विशेष परिस्थितियों में बायलर का निरीक्षक या निदेशक, किसी एक समय पर तीस दिन से अनधिक के लिए किसी समय पर विस्तारित किया जा सकेगा ।

८. बायलर को कब उपयोग में समझा जाएगा, -

(१) इन नियमों के प्रयोजन के लिए बायलर को तब उपयोग में समझा जाएगा जो बायलर में या अग्नि पुंज दशा के अधीन पानी गरम करने के प्रयोजन के लिए भट्टी अग्निबाक्स या अग्नि स्थान में अग्नि होती है । किसी बायलर को केवल तभी उपयोग में नही समझा जाएगा जब अग्नि को हटा दिया गया हो और संपूर्ण बाष्प और जल संयोजन बंद कर दिए गए हो ।

(२) इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को तब उपयोग में समझा जाएगा जब उसमें इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर से होकर प्लयू गैसें या अन्य तापन मीडिया प्रवाहित होते हैं और पानी और तापन गैस या मीडिया के बीच पर्याप्त ऊष्मा अतंरण होता है ।

अध्याया ३
परीक्षक का बोर्ड

९. **परीक्षक बोर्ड का गठन,-**

(१) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए परीक्षक बोर्ड का, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट

समतुल्य व्यक्ति और सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले तीन अन्यून ऐसे सदस्यों से मिलकर गठन किया जाएगा जिन्हें प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर पध्दतियों का शैक्षिक और व्यवहारिक ज्ञान हो ।

(२) बायलरों का मुख्य निरीक्षक या निदेशक पदेन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा समतुल्य व्यक्ति बोर्ड का पदेन सचिव होगा।

१०. **सदस्यों की पदावधि.-**

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी । यदि कोई सदस्य स्थायी रुप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को छोड देता है या बोर्ड की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित रखता हैं तो उसे यह समझा जाएगा कि उसने बोर्ड से अपना स्थान खाली कर दिया है और उसकी अवधी के अनवसित भाग के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ती की जा सकेगी ।

११. **बोर्ड के कृत्य.-**

परीक्षक बोर्ड -

(i) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा का संचालन करेगा ;

(ii) परीक्षक बोर्ड को किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र सेटर या परीक्षक के रुप में नियुक्त करने की शक्ति होगी य

(iii) बायलर प्रचालक इंजीनियर के रुप प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ; और

(iv) मत्ता, कर्तव्य की उपेक्षा, बायलर प्रचालक इंजीनियरों की ओर से अवचार के अभिकथन की जांच रिपोर्टों पर विचार करेगा ।

१२. **बोर्ड की बैठक,-**

बोर्ड की, उसके कारबार के संव्यवहार के लिए, जितनी बार अध्यक्ष की राय हो ऐसे स्थान और समय पर जो अध्यक्ष नियत करे, बैठक की जाएगी ।

१३. बैठक की सूचना और कारबार की सूची, -

(१) बोर्ड की प्रत्येक सदस्य को बोर्ड को प्रत्येक बैठक के लिए निश्चित समय और स्थान के बारे में डाक भेजने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना के साथ बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले कारबार की सूची संलग्न होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में अत्यावश्यक है, विचार करने हेतु कोई बैठक बुलाता है तो सूचना देने के लिए ऐसे युक्तियुक्त समय को, जो वह आवश्यक समझे, पर्याप्त समझा जाएगा य

(२) किसी ऐसे कारबार पर, जो सूची में नहीं है, अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय उस बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

१४. गणपूर्ति.-

परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव और दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

१५. अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना. -

अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

१६. बोर्ड का सविच, -

सचिव, प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले बायलर प्रचालन इंजीनियरों का रजिस्टर रखेगा और उसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाए या जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर निदेशित किए जाएं।

१७. आवेदन पर बोर्ड का पृष्ठांकन, -

बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी के मुद्रित आवेदन पत्र पर बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए उसके परीक्षा का परिणाम पर पृष्ठांकित करेगा । पृष्ठांकित आवेदन, सचिव को वापस लौट दिया जाएगा ।

१८. बोर्ड का प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति, -

बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय में, अत्यधिक वृध्द है या अंग विकार, स्वास्थ्यकर कमजोरी, त्रुटिपुर्ण दृष्टिशक्ति, बहरेपन, या किसी अंग की हानि से बायलर प्रचालन इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करने में शारीरिक रुप से अस्वस्थ है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी

से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा । तथापि, यदि अभ्यर्थी शारीरिक आरोग्य, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो बोर्ड को, बायलर इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी ।

१९. परीक्षक फीस - परीक्षक बोर्ड और अध्यक्ष और सचिव के सिवाय नियम ९ के अधीन नियुक्त कोई अन्य परीक्षक इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस प्राप्त करने के हकदार होगें और फीस निम्नलिखित होगी :-

(क) बोर्ड की बैठक के लिए गैर सरकारी बोर्ड के सदस्यों की बैठक की फीस	रु. - ५००/-
(ख) प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए	रु. - ३००/-
(ग) उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए	रु. - १५/-
(च) प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए	रु. - १००/-
(ड) अधीक्षण फीस	(i) रु. ३००/- प्रति अधीक्षक, यदि परीक्षा ३ घंटे से अधिक की है । (ii) रु. १५०/- प्रति अधीक्षक, यदि परीक्षा ३ घंटे से कम है ।

२०. बोर्ड की कार्रवाइयां -

बोर्ड की कोई कार्रवाई, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के कारण या ऐसी कार्रवाई बोर्ड में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किए जाने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

अध्याय ४

परीक्षा

२१. परीक्षा, -

बोर्ड द्वारा, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, ऐसे स्थान पर और ऐसी तारीखों पर जो सचिव व्दारा, समय-समय पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचित की जाएं, आयोजित की जाएगी ।

२२. परीक्षा का स्थगन -

जब परीक्षा के लिए नियत तारीख को राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया जाता है या जब किसी अकल्पित कारण से नियत तारीख को परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है तो अध्यक्ष,

परीक्षा करवाने के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों के लिए सम्यक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा ।

अध्याय ५

प्रमाणपत्र

२३. प्रमाण पत्र धारकों की सामर्थ्यता. -

(१) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसके धारक को किसी भी प्रकार और किसी भी आकार के बायलर या बायलरों का भार साधक होने के लिए अर्हित होगा परंतू यह तब जबकि बायलरों की स्थिति इस प्रकार कि उनमें सें किसी की भी दूरी आपस में पचास मीटर के घेरे से अधिक नहीं है ।

(२) बायलर प्रचालन इंजीनियम के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र का धारक सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए बायलर परिचर नियम,२०११ की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला समझा जाएगा :

परंतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी बायलर प्रचालन इंजीनियम के रुप में प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर प्रचालन इंजीनियर प्रवीणता प्रमाणपत्र में यथावर्णित बायलर(बायलरों) का भारसाधक होने का पात्र होगा ।

२४. प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन. -

किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रदत्त। बायलर प्रचालन इंजीनियम के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें वह सेवा के लिए आवेदन करता है, विधिमान्यता के लिए पृष्ठांकित प्रमाण पत्र लेगा । ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

२५. फीस, -

प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए २००/- (दो सौ रूपए) फीस संदत्त। की जाएगी जो प्रतिदेय नहीं होगी । फीस खजाना चालन या किसी अन्य ऐसे प्रकार द्वारा संदत्त। की जाएगी, जो सरकार इस निमित्त। अधिसूचित करे ।

अध्याय ६

परीक्षा के लिए आवेदन

२६. आवेदन का प्ररूप, -

परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में होगा । आवेदक प्ररूप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या अपने नियोजक की उपस्थितिं में प्ररुप पर हस्ताक्षर करेगा, जो उसके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा । इस प्रकार से भरा गया आवेदन निम्नलिखित के साथ सचिव को अग्रेषित किया जाएगा-

(क) अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताओं की बाबत प्रत्येक शंसा पत्र की अनुप्रमाणित प्रति और असके व्यवहारिक अनुभव हेतु मूल के साथ अनकी प्रतियां । शैक्षणिक योग्यताओं की बाबत सभी प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाएंगी,

(ख) आयु प्रमाण पत्र के साथ उसके नियोजक का उत्तार चरित्र का शंसा पत्र ।

(ग) खजाना चालान या कोई अन्य ऐसा प्रकार जो सरकार, इस निमित्ता, उस परीक्षा के लिए, जिसमें आवेदक उपस्थिति होना चाहता है, विनिर्दिष्ट फीस के समर्थन में विनिर्दिष्ट करे, और

(घ) नई पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (७० मी.मी. X ६७ मी.मी.) की दो प्रतियां, जिसमें एक के पीछे किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।

२७. अभ्यर्थी का समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना, -

(१) किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो अपने अनुभव, योग्यता और अपनी अर्हता सेवा की संपूर्ण अवधि के उत्तम आचरण या अर्हताप्राप्त सेवा की अवधि में कोई अस्पष्ट व्यवधान को प्रभावित करने वाले समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत नहीं करता है । ऐसे शंसा पत्र स्पष्ट रुप से उस सामर्थ्यता का जिसमें अभ्यर्थी, शिक्षु इंजीनियर में पर्यवेक्षक या सहायक इंजीनियर आदि के रुप में नियोजित किया था और उन तारीखों का, जिसके बीच में अभ्यर्थी इस प्रकार नियोजित का, विवरण देते हुए ऐसे नियोजन की अवधि का कथन किया जाएगा ।

२) शंसा पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और वह मिल, कारखाना या कार्यशाला के स्वामी या अभिकर्ता व्दारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति व्दारा जिसे सरकार इस निमित्त। अधिसूचित करे, प्रति हस्ताक्षरित होगा ।

(३) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने किसी मान्यताप्राप्त इंजीनियरी महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षण पाठयक्रम प्राप्त किया है, या तो पाठयक्रम की डिग्री या डिप्लोमा या पाठयकम पूरा करने में लगे समय देते हुए संस्थान प्रधानाचार्य या अधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(४) किसी वाष्प जल यान में सेवा की बाबत शंसा पत्र पर मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा और जलयान के मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत पोत परिवहन मास्टर व्दारा जारी नाविक निर्वहन प्रमाण पत्र के प्ररुप में हो सकेगा ।

(५) रेल बायलरों या सरकारी विभाग या स्थानीय निकायों के बायलरों पर दी गई सेवा के किसी शंसा पत्र, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति व्दारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी ने प्रत्यक्ष रुप से सेवा की है और संबंधित विभाग के प्रमुख व्दारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

२८. शंकास्पद शंसापत्र, -

यदि सचिव के पास, किसी आवेदन या शंसापत्र में दिए गए किसी कथन की सत्यता पर शंका करने कर कारण है तो वह ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उसे सत्यापित करने हेतु ठीक समझे ।

२९. मिथ्या शंसा पत्र -

(१) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है अभ्यर्थी व्दारा प्रस्तुत किसी शंसा पत्र की कोई तात्विक विशिष्टीयां मिथ्या है तो वह अपने निष्कर्ष अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश करने से विवर्जित करने का लिखित आदेश कर सकेगा यदि ऐसे किन्हीं शंसापत्रों के बल पर, किसी अभ्यर्थी ने पहले ही परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो उसे ऐसी परीक्षा में असफल समझा जाएगा और ऐसी परीक्षामें असफल घोपित होने के परिणामस्वरुप उसे प्रदत्त प्रमाण पत्र तत्काल वापस ले लिया जाएगा और उसे राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना व्दारा रद्द कर दिया जाएगा :

परंतु आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना इस नियम के अधीन कोई कारवाई नहीं की जाएगी ।

(२) अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

३०. आवेदनों और शंसापत्रों की प्रतियों को रख जाना, -

अभ्यर्थि द्वारा प्रस्तुत आवेदन और शंसा पत्र अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलेख के रुप में रखे जाएंगे । मूल शंसा पत्र यथासंभव शीध्र अभ्यर्थी को लौटा दिए जाऐंगे ।

अध्याय ७

पात्रता मानदंड

३१. आयु, अर्हता और अनुभव, -

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए कोई अभ्यर्थी तेईस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा और उसे तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या रासायनिक या शक्ति संयंत्र या उत्पादन अथवा यांत्रिकरण इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो ;

(ख) जिसने कम से कम एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलर के या कम से कम कुल मिलाकर एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलरों की बैटरी के, जिनमें से कम से कम एक बायलर कम से कम पांच सौ वर्गमीटर तापक सतह का हो, प्रचालन और/या रखरखाव में डिग्री धारकों की दशा में कम से कम दो वर्ष की और डिप्लोमा धारकों की दशा में पांच वर्ष सेवा की हो । तथापि, राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान से डिग्री धारकों या डिप्लोमा धारकों के लिए, न्यूनतम कार्य अनुभव की अपेक्षा एक वर्ष होगी ।

बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

अध्याय ८

परीक्षा के लिए पाठय विवरण

३२. परीक्षा के लिए पाठयविवरण, -

किसी अभ्यर्थी को, इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र अर्हित होने के अनुक्रम में परीक्षक का अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समाधान करना होगा कि वह :-

(क) भार, क्षेत्र, परिणाम, मात्रा और भार की संगणना कर सकता है ;

(ख) भूमि पर प्रयुक्त वाष्प बायलरों के मुख्य प्रकारों के ब्यौरे दे सकता है और उन प्रयोजनों और कारणों को बता सकता है जिसके लिए भिन्न-भिन्न प्रकार, के बायलर लगाए जाते हैं, और आकडों और प्रदत्त सूत्र से भारतीय बायलर विनियम के अनुसार बायलर के किसी भाग के लिए सुरक्षित चालन दबाव की संगणना कर सकता है ।

(ग) गोलाकार शलाका और शैफ्ट के भीतर का प्रत्यक्ष प्रतिबल, मरोडी प्रतिबल और बंकन प्रतिबल और दिए गए माह के साथ आयताकार शलाकाओं और लीवरों के भीतर के बकन प्रतिबल संगणना कर सकता है ;

(घ) वाष्प बायलरों, अतितापित और मित्त उपयोजितों के चालन और प्रबंधन को समझ सकता है ;

(ड.) विभिन्न वाल्वों, कोक, माउंटिंग, फिटिंग और यंत्र सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग और प्रयोजन समझ सकता है ।

(च) भरण पंपों, भरण अंतःक्षेपक, भरण विनियंत्रक, भरण जल फिल्टर और मृदुकर, भरण तापक, वायु तापक, उष्मांक संचायक, कृत्रिम कर्षण, अभिप्रेरित कर्षण, स्वचालित कर्षण नियंत्रण युक्तियों का विवरण दे सकता है और उसके कार्य को समझा सकता है ।

(छ) दहन, उष्मा और वाष्प संबधी तथ्यों का उत्तर दे सकता है और कोयलो और जल की खपत को और वाष्प की उस मात्रा को संगणित कर सकता है जो किसी भूमि बायलर में कर्षण की भिन्न-भिन्न पध्दतियों के अधीन तापक सतह से उत्पन्न हो सकती है और बायलर संयंत्र की संपूर्ण दक्षता को भी संगणित कर सकता है ।

(ज) धारा और सतह संक्षेपण, वाष्प विस्तारण के पुनः तापन और कार्यकरण को समझा सकता हे ;

(झ) बायलर और चिमनियों की बुनियाद रखने और दहनशील पदार्थ को सफलतापूर्वक निकालने हेतु चिमनियों की ऊंचाई में प्रयुक्त साधारण पध्दतियों को समझा सकता हे ;

(ञ) धुएं के निवारण के लिए प्रयुक्त मुख्य साधित्र का और एस सिध्दांत का, जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं, महत्व समझा सकता है और उपयोग में आने वाली मुख्य यांत्रिक आग वाले, संपेषक, गैस तेल और प्रपूर्णित इंधन प्रणाली का विवरण दे सकता है ;

(ट) कालिक सफाई, तापक सतह की पपडी या अन्य निक्षेपों को रोकने के लिए प्रयुक्त विधियां और भरे हुए जल में कतिपय पीएच मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता को समझा सकता है ;

(ठ) बायलरों की त्रुटियों का पता लगा सकता है और उन्हें सुधारने के साधनों और पध्दतियों को बता सकता है :

(ड) ठंडी या एकत्रित अग्नि की स्थिती से बायलरों और इकोनोमाइजर को चलाने में बरती जानेवाली सावधानियों को समझ सकता है :

(ढ) किसी इकोनोमायझर को उस समय बंद करने के लिए जब बायलर बाष्प चालित हो, अपनाई जाने
वाली प्रक्रिया को समझ सकता है :

(ण) इंधन की बचत करने के लिए और बायलर गृह में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के लिए अंगीकृत पध्दतियों को समझा सकता है :

(त) बायलर के घटकों और पाईपिंग में प्रयुक्त सामग्री : और

(थ) बायलरों और बायलर के आधारों या उसके भाग के कार्य प्रणाली की रुप रेखा और उसके रेखा चित्र को पढ सकता है और तैयार कर सकता है ।

अध्याय ९

परीक्षा की रीती

३३. परीक्षा की प्रकृति, -

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र हेतू परीक्षा ऐसी प्रकृती की होगी जिसे भूमि पर प्रयुक्त सभी प्रकार और दबावों के वाष्प जनित संयंत्रो के भार साधन के लिए अभ्यर्थी की योग्यता और तकनीकी ज्ञान की परीक्षा की जा सके ।

३४. परीक्षा के विषय, -

परीक्षा का संचालन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

(१) लिखित परिक्षा जिसमें एक प्रश्न पत्र नियम ३२ के उपनियम (क) से उपनियम (ज) के अधीन नियत पाठय विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित और दूसरा प्रश्न पत्र नियम ३२ के उपनियम (झ) से उप नियम (त) के अधीन नियत पाठय विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित होगा ।

(२) नियम ३२ के उपनियम (थ) को पूरा करने वाली लिखित रेखा चित्र परीक्षा ।

(३) बायलर के प्रयोग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौखिक परीक्षा और यदि परीक्षक व्दारा अपेक्षित है तो किसी बायलर गृह में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता को परीक्षा भवन या किसी कार्यशाला में प्रदर्शित करना ।

३५. कार्य का निर्धारण

अभ्यर्थी को प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में और मौखिक तथा रेखा चित्र परीक्षा में कम से कम पैंतालिस प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे, किंतु इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के कम में संपूर्ण योग कुल अंको का पचास से कम नही होना चाहिए ।

३६. परीक्षा की फीस, -

अभ्यर्थी, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा हेतू १५००/- रु.(एक हजार पांच सौ रुपए) का संदाय करेगा । फीस का संदाय खजाना चालान या किसी अन्य ऐसी फीस से किया जाएगा, जो सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे ।

३७. फीस का प्रतिदाय, -

ऐसा अभ्यर्थी, जो इन नियमों के अधीन एक बार परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, किसी फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा । जब कोई अभ्यर्थी निश्चित तारीख को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष उसे अगली परीक्षा में दूसरी फीस का संदाय किए बिना सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

३८. अपात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस, -

कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने परीक्षा फीस का संदाय किया है किन्तु परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है तो उक्त फीस समपहृत हो जाएगी ।

अध्याय १०

प्रमाणपत्र प्रदान करना

३९. प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करना, -

यदि अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसका परिणाम राज्य के राजपत्र या संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन के पश्चात यथा संभव शीघ्र उसे प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।

४०. प्रमाणपत्र का प्ररूप, -

बायलर प्रचालन इंजिनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र, प्ररूप 'ख' में होगा ।

४१. प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन, -

जारी करने वाले राज्य संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विधिमान्यता के लिए प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन करने के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में किया जाएगा ।

४२. पहचान करने की अपेक्षा -

इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक प्रमाणपत्र पर उसके धारक का, नियम २६ के अधीन उसके आवेदन के साथ पहले प्रस्तूत आवक्ष फोटो, और हस्ताक्षर तथा ऐसी विशिष्टियां होंगी जो पहचान के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों ।

४३. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्रदान करना, -

(१) जब कभी प्रमाणपत्र का धारक अध्यक्ष को समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त प्रमाणपत्र खो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है या विकृत हो गया तो उसे २००/- रूपए (दो सौ रूपए) फीस का संदाय करने पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्रदान की जाएगी, जो यथा पूर्वोक्त उस अभिलेख के अनुसार होगी, जिसका वह हकदार प्रतीत होता है, जिसकी उन सभी प्रयोजनों के लिए वैसी ही विधिमान्यता होगी जो मूल प्रमाणपत्र की होती । ऐसे प्रमाणपत्र पर "प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति " शब्द लिखे जाएंगे । फीस खजाना चालान द्वारा या ऐसी अन्य रीती व्दारा संदत्त की जाएगी जो सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे ।

(२) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणपत्र की दूसरी प्रत जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कथन मिथ्या है तो वह उक्त बोर्ड को उसकी अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और बोर्ड अपने विवेकाधिकार से, प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा या यथा पूर्वोक्त प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या तो तुरंत या ऐसी अवधि के पश्चात जो बारह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के पश्चात्, जो बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, प्रदान करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

४४. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, -

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस कथन की घोषणा के साथ, कि इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रमाणपत्र खो गया है, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल किया जाएगा ।

४५. मूल प्रमाणपत्र की अविधिमान्यता, -

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के जारी होने पर मूल प्रमाणपत्र विधिमान्य नही रहेगा और यदि वह उसके धारक के कब्जे में है तो उसे रद्दकरण हेतु अध्यक्ष के कार्यालय में वापस किया जाएगा ।

४६. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख, -

इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी पत्रों की दूसरी प्रति को अध्ययन के कार्यालय में अभिलिखित किया जाएगा।

अभ्यास ११

जांच

४७. प्रमाणपत्र धारकों के संबंध में जांच, -

यदि जिला मजिस्ट्रेट या बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक के पास किसी भी कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी बायलर प्रचालन इंजिनियर की ओर से कर्तव्य की अक्षमता, मत्तता , अवचार या उपेक्षा के अभिकथनों की जांच की जानी चाहिए तो वे या तो स्वयं ऐसी जांच करेंगे या अपने अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करवाएंगे, और -

(क) उस व्यक्ति की उपस्थिति में कार्यवाहियां कि जाएंगी जिसका आचरण जांच के अध्यधीन है और उसको ऐसा कथन, जो वह करना चाहता है, करने का और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा ।

(ख) जांच करने वाले अधिकारी द्वारा उस पर दिए गए निष्कर्षों के साथ ऐसी जांच की कार्यवाही, उस अधिकारी व्दारा बोर्ड के विनिश्चय के लिए अग्रेषित की जाएगी ।

४८. प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण, -

जब नियम ४७ के अधीन कोई जांच की जा रही है तो ऐसे प्रमाणपत्र का धारक जांच के भारसाधक अधिकारी की मांग पर, तुरंत ऐसी जांच के परिणाम के लंबित रहने के दौरान उक्त अधिकारी को अपना प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर देगा ।

४९. बोर्ड का विनिश्चय,

(१) बोर्ड, नियम ४७ के अधीन की गई जांच की कार्यवाही, उस पर दिए गए निष्कर्ष के साथ प्राप्त होने पर, प्रमाणपत्र की मान्यता को अनुज्ञात कर सकेगा या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, जो वह ठिक समझे या स्थायी रुप से प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा ।

(२) उपनियम (१) के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(३) बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन भीतर सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप - 'क'

(नियम २६ और ४२ देखें)

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

फोटोग्राफ

भाग १ - आवेदक का नाम आदि

१. नाम (पूरा नाम)

२. पिता का नाम

३. राष्ट्रीयता

४. जन्म तिथि

५. जन्म का स्थान

६. स्थायी पता

७. क्या पूर्व में किसी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है

८. यदि हां तो उसके स्थान और तारीख का ब्यौरा

बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

भाग २ : प्रस्तु किए गए सभी प्रमाणपत्रों की विशिष्टियां

प्रमाणपत्र का संख्याक	प्रमाण पत्र का वर्ग	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख	यदि किसी समय निलंबित या रद्द हुआ है और यदि ऐसा है तो कथन करे की किसके द्वारा	निलंबन या रद्द करने की तारीख	निलंबन या रद्दकरण के कारणे
१	२	३	४	५	६	७

भाग ४ - आदेवक द्वारा की गई घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि इस प्ररुप के भाग-१,भाग-२ और भाग-३ में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य हैं और भाग-२ में प्रगणित और इस प्ररुप के साथ प्रस्तुत कागजपत्र वास्तविक और असली हैं और सत्य और सही हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि भाग-३ में दिए गए विवरणों में बिना किसी अपवाद के मेरी सेवा की संपूर्ण अवधि का सत्य और सही विवरण अंतर्विष्ट है और मैं शुध्द अतंःकरण से उसकी सत्यता का विश्वास करके यह घोषणा करता हूँ ।

तारीख.....२०

आवेदक के हस्ताक्षर
वर्तमान पता

..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर
हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

टिप्पण :- १ - प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी रीति में अपेक्षित फीस संलग्न की जानी चाहिए जो सरकार द्वारा विहित की जाए ।

२. आवेदन के साथ आवेदक के आवक्ष (आकार ७० मि.मि. ग ६७ मि.मि.) के, किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सम्यक् रुप से अधिप्रमाणित दो नवीनतम फोटोग्राफ, जिसके पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।

३. परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति मिथ्या विवरण देता है तो वह अभियोजन का दायी होगा ।

४. अपूर्ण आवेदन अस्वीकार करने योग्य होगा ।

भाग ७
(आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री. ..... की बायलर प्रचालन इंजीनियम के रुप में प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा की गई और वह ..... के दौरान आयोजित परीक्षा में सफल/असफल हो गया है ।

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसे सफल प्रमाणित करने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

प्रमाणपत्र सं. ..... तारीख ..... को जारी किया गया और उसकी प्रति अभिलेखिष्ट है ।

(सचिव)
परीक्षक बोर्ड

बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

प्ररूप ख

(नियम ४० देखें)

बायलर प्रचालन इंजीनियम नियम २०११ के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रुप में प्रवीणता प्रमाण पत्र

सं.....तारीख.....मास २०.....

श्री. ..... आयु .....वर्ष ..... वर्तमान निवासी .... ने बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११ के अधीन प्रदत्त। किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर के कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी प्रवीणता ऊपर उल्लिखित नियमों के अधीन नियुक्त परीक्षक बोर्ड का समाधान कर दिया है । प्रवीणता का यह प्रमाण पत्र सी प्रकार या आकार के बायलरों का भारसाधक होने के लिए प्राधिकृत करता है परंतु यह तब जब सही बायलर ५० मीटर की परिधि में स्थित हों ।

तारीख ..... मास २०

सचिव
परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष
परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

विवरण नामावली

१. जन्म की तारीख और स्थान .....

२. स्थायी पता .....

३. राष्ट्रीयता .....

४. लंबाई (बिना जूतों के) .....

५. पहचान के चिन्ह .....

६. बाएं हाथ का अंगुठे का निशान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन

बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम,२०११

भाग ३ : परिसाक्षों की सूची और सेवा की विवरणी

(परीसाक्षी नीचे स्तंभ १ में दि गई संख्याओ के तत्स्थानी क्रम संख्यांक में दिए जाए)

परिसाक्षो का क्रम संख्याक.	परिसाक्षो की तारीख	परिसाक्षो पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	उस कारखाना या कार्यशाला का पता और पदनाम जहां वह नियोजित है	उन बायलरों की सख्यां. प्रकार और तापक सतह जिस पर कार्य किया है	हैसियत जिसमे नियोजित है	आवेदक की सेवा		वह अवधि जिसमे वह नियोजित था			आवेदक द्वारा नहीं भरा जाए	
						प्रारंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	वर्ष	मास	दिन	सत्यापन करने वाले के आदयाक्षर	टिप्पणियां
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

कुल सेवा ।

सेवा मे लगाया गया वह समय जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रस्तु किए गए हैं ।

सेवा मे लगाया गया वह समय जिसके लिए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं ।